कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल

कारोबार प्रतिनिधि बनने के लिए पात्रता

आरबीआई के मार्गनिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित इकाइयां बैंक के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) बनने के लिए पात्र हैं :-

0 सोसाइटी/ट्रस्ट अधिनियमों के अधीन स्थापित एनजीओ/एमएफआई,
0 परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियमों या राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां ,
0 सेक्शन 25के तहत आनेवाली कंपनियाँ जो एकल इकाइयां हैं या जिनमें एनबीएफसी, बैंकों, दूर संचार कंपनियों तथा अन्य कॉरपोरेट इकाइयों या उनके द्वारा धारित कंपनियों की इक्विटी धारिता 10 प्रतिशत से अधिक न हो,
0 डाकघर ,
0 सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी ,
0 भूतपूर्व सैनिक ,
0 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ,
0 व्यक्तिगत किराना / चिकित्सालय / उचित मूल्य वाली दुकान के मालिक,
0 व्यक्तिगत पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) के परिचालक ,
0 भारत सरकार / बीमा कंपनियों की छोटी बचत योजनओं के एजेंट तथा पेट्रोल पंपों के मालिक ,
0 सेवानिवृत्त शिक्षक ,
0 बैंकों की गैर-जमाराशियां संग्रहित करनेवाली एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां) से संबद्ध ऋण कंपनियों के रूप में सुव्यवस्थित तरीके से संचालित स्वयं सहायता समूह के प्राधिकृत पदाधिकारी, जिनका सूक्ष्म वित्त पोर्टफोलियो, वित्तीय समावेशन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट वित्तीय रूप से उपेक्षित जिलों की बकाया राशि के 80% से कम न हो,
0 रिज़र्व बैंक ने अब, कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) के परिचालकों सहित, किसी भी व्यक्ति को कारोबार प्रतिनिधि के रूप में काम में लगाने की अनुमति प्रदान की है . इसके लिए शर्त यह है कि बैंक स्वयं संतुष्ट हो तथा उनके द्वारा ईमानदारीपूर्ण कार्यनिष्पादन में कोई शक न हो, तथा साथ ही, एजेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था, जैसा उचित समझा जाए, की जाए .

कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की नियुक्ति

- जिन इलाकों में उन्हें काम करना है, अनिवार्य रूप से उन्हीं इलाकों के स्थायी निवासी हों .

- वे सुस्थापित हों, इलाके में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो तथा वहाँ के स्थानीय लोग उन पर विश्वास करते हों .
- कारोबार प्रतिनिधियों के पास पीओएस मशीन तथा अन्य उपकरणों में निवेश की क्षमता हो .
- कारोबार प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे :
- उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है - कक्षा X उत्तीर्ण होना .
- निवास तथा व्यवहार आदि के सत्यापन के लिए फील्ड इंवेस्टिगेशन/आरसीयू किया जाएगा .
- विश्वसनीयता की जाँच - किसी अन्य बैंक के साथ खाता
- आईडीबीआई बैंक (मूल शाखा) के साथ खाता खोलना होगा .
- कारोबार की मात्रा के आधार पर उचित प्रतिभूति जमा / बैंक गारंटी

कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) का कार्य-क्षेत्र

कारोबार प्रतिनिधियों का कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

- क्षेत्र के लोगों में बचत और अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा मुद्रा-प्रबंधन और ऋण-काउंसलिंग के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा सलाह देना .
- संभाव्य ग्राहकों की पहचान .
- विविध जमा संबंधी फॉर्मों को एकत्र करना तथा प्रारंभिक प्रोसेसिंग करना . साथ ही, प्राथमिक सूचनाओं और आँकड़ों का सत्यापन करना .
- आवेदन फॉर्मों/खाता खोलनेवाले फॉर्मों तथा नामांकन खंड को भरना और बैंक के पास जमा करना .
- केवाईसी भी कारोबार प्रतिनिधि द्वारा पूरा किया जाएगा .
- उन्नतशील प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समय-समय पर नो फ्रिल जमा खातों को खोलना तथा अन्य योजनाओं संबंधी कार्रवाई करना.
- छोटी राशि वाले जमा और आहरण का संग्रहण और भुगतान : कम-से-कम - शून्य, अधिकतम 2000/- रु. प्रति लेनदेन
- बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत छोटी राशि वाले प्रेषणों/अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति तथा सुपुर्दगी .
- ऐसे सभी लेनदेन के बारे में कारोबार प्रतिनिधि / उनके एजेंट को अपने कार्य-स्थल पर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर नकदी स्वीकार करने / सुपुर्दगी देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा . इसके लिए प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा (प्रत्येक मामले में 2000/- रु.) लागू होगी .
- संक्षिप्त त्रैमासिक खाता विवरण तथा खाता संबंधी अन्य सूचनाएं देना .
- उचित प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किए जाने पर बैंक की तरफ से कोई अन्य सेवा .

- कारोबार प्रतिनिधिों द्वारा किए गए कार्य बैंक के सामान्य बैंकिंग कारोबार के अधीन होंगे , लेकिन इसका संचालन बैंक परिसर से अलग अन्य जगहों पर इकाइयों के मार्फत और उनके द्वारा होगा .
- ऐसे सभी लेनदेन के मामलों में, कारोबार प्रतिनिधि / उनके एजेंट को प्रति दिन / प्रति ग्राहक के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा (प्रत्येक मामले में 2000/- रु.) के भीतर अपने कार्य-स्थल पर या किसी सुविधाजनक स्थान पर नकदी स्वीकार करने/सुपुर्दगी देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा . कारोबार प्रतिनिधि को पास की शाखा (मूल शाखा) से जोड़ दिया दिया जाएगा .
- बीमा / म्युचुअल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों/कोई अन्य तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों का प्रति विक्रय करना - जब भी उनको ऐसे कार्य सौंपे जाएं .
- कारोबार प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत् नियुक्त सब एजेंटों के बारे में उनकी प्रतिष्ठा से जुडे जोखिम का ध्यान कारोबार प्रतिनिधि ही रखेंगे .